तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 300/2023 **नरेन्द्र आदि बनाम तहसीलदार** **प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/2/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने **बहस** वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि जमीन ख. नं. 465 रकबा 2.10 है0 राजस्व ग्राम मैनपुरा तहसील गुढागौड़जी व जिला झुझुनूं में अवस्थित है। आवेदकगण उक्त भूमि में संयुक्त खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति/दादा/दादससुर का नाम हरदेवा गलत दर्ज हो गया जबकि उसका ग्राम मैनपुरा में हाल भूमि खाता संख्या नया 105, 99, 123 में मोती दर्ज दर्ज है जो वास्तविक नाम है जिसे खसरा नं. 465 के राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीदार ने भी अपनी रिपोर्ट में हरदेवा तथा मोतीराम एक ही व्यक्ति के नाम होना उल्लेख किया है तथा नाम दुरूस्ती की अभिषंशा की है। बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मैनपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुझुनूं के हाल भूमि खसरा नम्बर 465 रकबा 2.10 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम महिपाल पुत्र हरदेवा के स्थान पर महिपाल पुत्र मोतीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/2/25 को खुले इजलास सुनाया गया। [signature] 13/2/25 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	